रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 1971/फाल्गुन 13, 1892
No. 186] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 1971/PHALGUNA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 3rd March 1971*

**S.O. 1019.**—Whereas the Election Commission by its notification No. 464/MT-HP/71, dated the 27th January, 1971, issued under section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), had appointed the 1st March, 1971 (Monday) as the date for taking poll at the election to the House of the People from the 24-Chanda Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra;

And, whereas the Election Commission is satisfied that on account of unavoidable circumstances the poll in respect of two villages, both named Karrem included in electoral parts numbers 272 and 345 of Gadchiroli Assembly Segment of the said Chanda Parliamentary Constituency could not be taken on the 1st March, 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Representation of the People Act, 1951 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission hereby amends its notification No. 464/MT-HP/71, dated the 27th January, 1971, and appoints 6th March, 1971 (Saturday), as the date on which poll shall be taken in respect of the above mentioned villages included in electoral parts numbers 272 and 345 of Gadchiroli Assembly Segment of the said Chanda Parliamentary Constituency referred to above.

[No. 464/MT-HP/71.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1971

एस० ओ० 1019.—यतः, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना सं० 464/महा० लो० स०/71, तारीख 27 जनवरी, 1971, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 24—चन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए मतदान के लिए 1 मार्च, 1971 (सोमवार) की तारीख नियत की थी ;

और, यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उक्त चन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गादचिरोली सभा खण्ड के निर्वाचक भाग सं० 272 तथा 345 में सम्मिलित दो ग्रामों में, दोनों करेंम नामक ग्रामों में मतदान 1 मार्च, 1971, को नहीं हो सका ;

अतः, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 464/महा०-लो०स०/71, तारीख 27 जनवरी, 1971 में एतद्द्वारा संशोधन करता है, तथा 6 मार्च, 1971 (शनिवार) को, ऐसी तारीख के रूप में नियत करता है, जिसको उपर्युक्त वर्णित उक्त चन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गादचिरोली सभा खण्ड के निर्वाचक भाग सं० 272 तथा 345 में सम्मिलित उपर्युक्त वर्णित ग्रामों के सम्बन्ध में मतदान होगा ।

[सं० 464/महा० लो० स०/71]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971